संख्या-225/2022/827/41-2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 31 मार्च 2022

विषय- **जनपद मथुरा की विभिन्न प्रायोजनाओं की अवशेष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्रांक-8571/6-1-1/(3)/ब्र0ती0वि0प0/2018-19 दिनांक 30-03-2022 के क्रम में शासनादेश सं0-223/2022/807/41-2022 दिनांक 31-3-22 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के पत्रांक-द्वारा प्रेषित निम्नांकित विवरणानुसार प्रस्तावों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें:-

क्र0	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के पत्र का विवरण	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	अभी तक अवमुक्त की गयी धनराशि (रूपये लाख में)	मांगी गई अवशेष धनराशि (रूपये लाख में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	प0 1132/ उ0प्र0ब्र0 ती0 वि0प0 /2021-22, दि0 26 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा स्थित वन्दावन मे जयपुर मंदिर के सामने अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य।	419.61 + जी0एस0टी0	393.00	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-26.61 + जी0एस0टी0 मद में रू0-46.88 कुल रू0-73.49
2	प0 1138/ उ0प्र0ब्र0 ती0 वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-2	150.84 + जी0एस0टी0	150.84	जी0एस0टी0 मद में रू0-9.37681
3	प0 1139/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-3	228.00 + जी0एस0टी0	228.00	जी0एस0टी0 मद में रू0-23.63661
4	प0 1140/ उ0प्र0ब्र0 ती0 वि0प0 /2021-	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के	265.16 +	265.16	जी0एस0टी0 मद में रू0-8.75907

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	22, दि0 28 मार्च, 2022	वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-4	जी0एस0टी0		
5	प0 1141/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-5	230.29 + जी0एस0टी0	230.29	जी0एस0टी0 मद में रू0-14.24464
6	प0 1142/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-6	160.00 + जी0एस0टी0	160.00	जी0एस0टी0 मद में रू0-0.97456
7	प0 1143/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जुबली पार्क, डेम्पियर नगर मथुरा में मल्टीलेबिल भूमिगत पार्किंग स्ट्रीट वेन्डर्स के स्थान व ओपन थ्रियेटर का निर्माण।	2001.93 + जी0एस0टी0	2001.93	जी0एस0टी0 मद में रू0-211.27260
8	प0 1145/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित यशोदा घाट का पुनर्निर्माण एवं नन्दबाबा मंदिर के निकट गलियों के विकास कार्य।	69.06 लाख जी0एस0टी0 सहित	34.53	34.53
9	प0 1146/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा महावन स्थित चिन्ताहरण घाट पर श्रृद्धालुओं की सुविधा हेतु हॉल एवं टॉयलेट का निर्माण कार्य।	100.56 + जी0एस0टी0	25.00	75.56
10	प0 1147/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 / 2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के महावन स्थित ब्रम्हाण्ड घाट का जीर्णोद्धार तथा नये घाट का निर्माण कार्य।	217.52	189.42	----------
11	प0 1150/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित नन्दभवन सीढ़ियों से रास चबूतरा होते हुए नन्द चौक तक सौन्दर्यीकरण का कार्य।	36.58 + जी0एस0टी0	30.606	----------
12	प0 1151/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च,	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित नन्दभवन पार्किंग	226.64	186.74	1.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	2022	के पास नये घाट का निर्माण तथा मुरली घाट पर होली चबूतरे का सौन्दर्यीकरण का कार्य।			
13	प0 1152/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	जनपद मथुरा के गोवर्धन में ग्राम गांठौली स्थित गुलालकुण्ड के सुदृढ़ीकरण	82.63 + जी0एस0टी0	32.00	50.63
14	प0 1153/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग में फैसिंग के कार्य।	374.12 + जी0एस0टी0	374.12	----------
15	प0 1154/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग में फैसिंग के कार्य।	418.46 + जी0एस0टी0	418.46	रू0-74.00 लाख (अतिरिक्त मांग के क्रम में)
16	प0 1155/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग आर0सी0सी0 ह्युम पाईप डालने का कार्य।	212.80 जी0एस0टी0 सहित	190.88	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-10.54
17	प0 1156/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा में गोवर्धन में स्थित बड़ी परिक्रमा मार्ग पर आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप डालने का कार्य।	202.77 जी0एस0टी0 सहित	165.39	19.23
18	प0 1157/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कर्वस्टोन तथा स्टोन बोलार्ड लगाने का कार्य।	953.92 + जी0एस0टी0	858.52	----------
19	प0 1158/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में राधाकुण्ड स्थित राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार, आन्तकरक विकास कार्य, वाह्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य।	348.67 + जी0एस0टी0	174.34	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-174.34

2- उपरोक्त प्रस्ताव क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत 19 परियोजनाओं के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा की गई मांग के क्रम में निम्नांकित तालिका के कॉलम -6 में अंकित प्रत्येक परियोजना की अवशेष धनराशि को श्री राज्यपाल इस शर्त के अधीन अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर पर भुगतान के पूर्व प्रायोजना की टेण्डर लागत/टेण्डर लागत के सापेक्ष हुये व्यय के विवरण के आलोक में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में परियोजना की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो और यदि परियोजना की मूल स्वीकृति से संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निविदा लागत के क्रम में कार्यों/लागत में कोई विचलन किया गया है तो उसके संबंध में नियमानुसार पुनरीक्षण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-2-2526/दस-सं0-बी-2-2526/दस-2014-10/77 दिनांक 26-8-14 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा :-

क्र0	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के पत्र का विवरण	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	अभी तक अवमुक्त की गयी धनराशि (रूपये लाख में)	अवशेष धनराशि (रूपये लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	प0 1132/ उ0प्र0ब्र0ती0 वि0प0 /2021-22, दि0 26 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा स्थित वन्दावन मे जयपुर मंदिर के सामने अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य।	419.61 + जी0एस0टी0	393.00	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-26.61 + जी0एस0टी0 मद में रू0-46.88 कुल रू0-73.49	---------
2	प0 1138/ उ0प्र0ब्र0ती0 वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-2	150.84 + जी0एस0टी0	150.84	जी0एस0टी0 मद में रू0-9.37681	---------
3	प0 1139/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-3	228.00 + जी0एस0टी0	228.00	जी0एस0टी0 मद में रू0-23.63661	---------
4	प0 1140/ उ0प्र0ब्र0ती0 वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-4	265.16 + जी0एस0टी0	265.16	जी0एस0टी0 मद में रू0-8;75907	---------
5	प0 1141/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-5	230.29 + जी0एस0टी0	230.29	जी0एस0टी0 मद में रू0-14.24464.	---------
6	प0 1142/ उ0प्र0ब्र0	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0	160.00	160.00	जी0एस0टी0	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	के अन्तर्गत जनपद मथुरा के वृन्दावन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य (सिविल कार्य) भाग-6	+ जी0एस0टी0		मद में रू0- 0.97456	---------
7	प0 1143/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जुबली पार्क, डेम्पियर नगर मथुरा में मल्टीलेबिल भूमिगत पार्किंग स्ट्रीट वेन्डर्स के स्थान व ओपन थ्रियेटर का निर्माण।	2001.93 + जी0एस0टी0	2001.93	जी0एस0टी0 मद में रू0- 211.27260	---------
8	प0 1145/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित यशोदा घाट का पुनर्निर्माण एवं नन्दबाबा मंदिर के निकट गलियों के विकास कार्य।	69.06 लाख जी0एस0टी0 सहित	34.53	34.53	---------
9	प0 1146/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा महावन स्थित चिन्ताहरण घाट पर श्रृद्धालुओं की सुविधा हेतु हॉल एवं टॉयलेट का निर्माण कार्य।	100.56 + जी0एस0टी0	25.00	75.56	---------
10	प0 1147/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 / 2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के महावन स्थित ब्रम्हाण्ड घाट का जीर्णोद्धार तथा नये घाट का निर्माण कार्य।	217.52	189.42	----------	**प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि की मांग नहीं की गई है। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव क्रम में प्रायोजना के समापन की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती है कि यदि मूल् स्वीकृत कार्यों/ लागत से विचलन किया गया है तो शासनादेश के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**
11	प0 1150/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित नन्दभवन	36.58 + जी0एस0टी0	30.606	----------	**प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि की मांग नहीं की गई है। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव क्रम**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		सीढ़ियों से रास चबूतरा होते हुए नन्द चौक तक सौन्दर्यीकरण का कार्य।				**में प्रायोजना के समापन की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती है कि यदि मूल् स्वीकृत कार्यों/ लागत से विचलन किया गया है तो शासनादेश के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।**
12	प0 1151/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोकुल स्थित नन्दभवन पार्किंग के पास नये घाट का निर्माण तथा मुरली घाट पर होली चबूतरे का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	226.64	186.74	1.94	---
13	प0 1152/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	जनपद मथुरा के गोवर्धन में ग्राम गांठौली स्थित गुलालकुण्ड के सुदृढ़ीकरण	82.63 + जी0एस0टी0	32.00	50.63	---
14	प0 1153/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग में फैसिंग के कार्य।	374.12 + जी0एस0टी0	374.12	---	**प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि में से बची हुई धनराशि को राजकोष में जमा करायी जाये।**
15	प0 1154/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में बड़ी परिक्रमा मार्ग में फैसिंग के कार्य।	418.46 + जी0एस0टी0	418.46	रू0-74.00 लाख (अतिरिक्त मांग के क्रम में)	**परियोजना में प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक धनराशि व्यय की गई है एवं धनराशि रू0-74.00 लाख की मांग की गई है।**
16	प0 1155/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में छोटी परिक्रमा मार्ग आर0सी0सी0 ह्युम पाईप डालने का कार्य।	212.80 जी0एस0टी0 सहित	190.88	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-10.54	---
17	प0 1156/ उ0प्र0ब्र0 ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च,	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 जनपद मथुरा में गोवर्धन में स्थित बड़ी	202.77 जी0एस0टी0 सहित	165.39	19.23	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	2022	परिक्रमा मार्ग पर आर0सी0सी0 हयूम पाइप डालने का कार्य।				
18	प0 1157/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	उ0प्र0ब्र0ती0वि0परि0 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर कर्वस्टोन तथा स्टोन बोलार्ड लगाने का कार्य।	953.92 + जी0एस0टी0	858.52	----------	**प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि में से बची हुई धनराशि रू0-77.21 लाख को राजकोष में जमा करायी जाये।**
19	प0 1158/ उ0प्र0ब्र0ती0वि0प0 /2021-22, दि0 28 मार्च, 2022	जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में राधाकुण्ड स्थित राही पर्यटक आवास गृह का जीर्णोद्धार, आन्तिरक विकास कार्य, वाह्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य।	348.67 + जी0एस0टी0	174.34	प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-174.34	---------

3- उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर-2 में अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित/अवमुक्त करते समय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(1)प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु मूल स्वीकृति एवं अन्य किश्तों में अवमुक्त की गई वित्तीय स्वीकृति के शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रत्येक प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2(9)(ड) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रत्येक परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रत्येक परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) प्रत्येक परियोजना के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रत्येक प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि उक्त सूचना एवं परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था /पर्यटन निदेशालय एवं पर्यटन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता /कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
5- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।